कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 08/06//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 07.06.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं040/24 धारा 379/411 भा0द0वि में वांछित 01 नफर अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं040/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त बादल राम पुत्र नथुनी राम निवासी ग्राम सिऊरीडीह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना पर दिनांक 06.06.24 को समय करीब 20.20 बजे रसूलपुर पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुई वीवो मोबाइल को बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बादल राम पुत्र नथुनी राम निवासी ग्राम सिऊरीडीह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 40/24 धारा 279/411 भा0द0वि0 थाना नोनहरा गाजीपुर।

बरामदगी

01 अदद वीवो मोबाइल।

02. ' श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 07.06.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18/21 धारा 302/307/308/325/504/506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1. कौशल्या देवी पत्नी दीनदयाल 2. दीनदयाल पुत्र स्व0 जमुना बिन्द निवासीगण ग्राम मलसा

थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 308/34 भादवि में प्रत्येक को 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, अभियुक्तगण को 325/34 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

03. थाना मरदह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 105/2024 धारा 504/505(2)/509 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 504/505(2)/509 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त विनय यादव पुत्र उधव यादव निवासी पडिता थाना मरदह जनपद गाजीपुर को मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 मो0 सैफ मय हमराह द्वारा आज दिनांक 07.06.2024 को समय करीब 04.55 बजे कन्सहरी मोड वहद ग्राम कन्सहरी थाना मरदह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

विनय यादव पुत्र उधव यादव निवासी पडिता थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 105/2024 धारा 504/505(2)/509 भा0द0वि0 थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर